22-11-21

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् व अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपीलांटा व रेस्पोडेन्ट् के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है व पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद इस बाबत् नहीं रहने के कारण अपीलांट् अब अपनी अपील आगे चलाना नहीं चाहते है। अपीलांट् अपील इसी स्टेज पर विड्रा करना चाहते है। अतः अपील इसी स्टेज पर जरिये विड्रावल निर्णित करने के आदेश प्रदान करावे।

प्रस्तुत मामलें में अपीलांट् द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 24–11–2016 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है तथा अब अपीलांट् ही उक्त अपील को इस आधार पर विड्रा करना चाहते है कि पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। प्रकरण में चूंकि अपीलाधीन आदेश से अपीलांट् स्वयं ही व्यथित थे व अब वे ही उक्त आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपील को जरिये राजीनामा विड्रा करना चाहते है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश से संबंधित समस्त आगामी कार्यवाही से अपीलांट स्वयं बाधित है तथा भविष्य में अपीलांट अपने लिखित अभिकथनों से अर्थात रेसज्यूडिकेसा से प्रभावित रहेंगें। लिहाजा अपीलांट की अपील जरिये विड्रावल खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:35:47 IST
Reason: SelfAttested

22/11/2021

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर